न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–73/2023

शेख ईलाकत..वादी

बनाम

शेख तैयब एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
01.07.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 05.06.2025 अंदर आदेश 8 नियम 1 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 07.08.2025 को दाखिल आवेदन को ही वादी के आवेदन दिनांक 05.06.2025 पर प्रतिउत्तर समझे जाने का निवेदन किया गया है। अभिलेख आज वादिनी के आवेदन दिनांक 05.06.2025 पर आदेश हेतु निश्चित है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रतिवादी सं0–1 की तरफ से दिनांक 04.03.2025 को दाखिल लिखित कथन कालबाधित है और संशोधित आदेश 8 नियम 1 के आलोक में ग्रहणीय नहीं है। संशोधित आदेश 8 नियम 1 में प्रतिवादी को लिखित कथन दाखिल करने व न्यायालय को उसे स्वीकार करने हेतु जो जिम्मेदारी दी गयी है। Order 8, Rule 1–written statement – The defendant shall within thirty days from the date of service of summons on him present a written statement of his defense: 19a [Provided that where the defendant fails to file written statement within the said period of thirty days, he shall be allowed to file the same on such other day, as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, but which shall not be later than ninety days from the date of service of summons.] उपर्युक्त वाद में दिनांक 29.11.2024 को अखबार प्रकाशन के बाद दिनांक 09.10.2024 को प्रतिवादी सं0– 1, शेख तैयब न्यायालय में हाजिर हुए और अपना जवाब दिनांक 04.03.2024 को दाखिल किए। प्रतिवादी सं0–1 को उपरोक्त आदेश 8 नियम 1 (परंतुक Provided) में विहित नियम के अनुसार अखबार प्रकाशन की तिथि 09.10.2024 से 08.11.2025 तक। यानी अखबार प्रकाशन से प्रतिवादी सं0–1 को अपना जवाब 08.01.2025 तक यानी तीस दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना है और तीस दिनों के अंतर्गत अगर जवाब दाखिल नहीं होता है तो उस परिस्थिति में लिखित जवाब हेतु अगले साठ दिन बढ़ाने से पहले माननीय न्यायाधीश महोदय को अतिरिक्त समय देने हेतु केस	

लगातार 01.07.2026	अभिलेख में कारण दर्ज करना होगा (reasons to be recorded) तब प्रतिवादी को अतिरिक्त साठ दिन यानी कुल नब्बे दिवस प्रतिवादी सं0–1 को जवाब हेतु समय दिया जायेगा। यानी अखबार प्रकाशन से प्रतिवादी सं0–1 को अपना जवाब 28.02.2025 तक करना था लेकिन उन्होंने न्यायालय में अपनी उपस्थिति दिनांक 29.01.2025 से जवाब दाखिल करने हेतु नब्बे दिन की गणना की है और जवाब दिनांक 04.03.2025 को दाखिल किया है जो नियम विरुद्ध है। साथ ही उन्होंने अपने लिखित कथन के साथ विलंब माफी हेतु समय सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 अंतर्गत आवेदन नहीं दिया है। उनके विरुद्ध समन तामिला अखबार प्रकाशन की तिथि से ही विधिसम्मत माना जायेगा। केस अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा अखबार प्रकाशन की तिथि से तीस दिन गुजर जाने के बाद जवाब हेतु अतिरिक्त साठ दिन देते हुए नियमानुसार अपना 'कारण' केस अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है। Aditya Hotels (P) Ltd- V- Bombay Swadeshi Stores Ltd- and other के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश 8 नियम 1 में विहित कानून की व्याख्या करते हुए जो व्यवस्था दी है वह निम्न प्रकार है– "Civil P-C. (5 of 1908), O 8, R 1 (amended by Amendment Act 2002)– Written statement- delay in filing – condonation of – Neither trial court nor High Court indicated any reason to justify acceptance of written statement after expiry of time fixed – order allowing filing of written statement – Liable to be set aside. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले की कंडिका 7 में माननीय विचारण न्यायालय को जवाब ग्रहण हेतु व प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने हेतु जो टिप्पणी किया है वह नीचे उल्लिखित है– Ordinarily, the time schedule prescribed by Order 8, Rule 1 has to be honoured, the defendant should be vigilant- No sooner the writ of summons is served on him should take steps for drafting on the appointed date of hearing without waiting for the arrival of the date appointed in the summons for his appearance in the court. The	

लगातार 01.07.2026	extension of time sought for by the defendant from the court whether within 30 days or 90 days, as the case may be] should not be granted just as a matter of routine and merely for asking moreso, when the period of 90 days has expired. The extension can only be by way of exception and for reasons assigned by the defendant and also recorded in writing by the court to its satisfaction. It must be spelled out that departure from the time schedule prescribed by order 8, rule 1 of the code was being allowed to be made because the circumstances was exceptional, occasioned by reason beyond the control of the defendant and such extension was required in the interest of justice and grave injustice would be occasioned if the time was not extended. इसके अलावा, माननीय शीर्ष अदालत ने माननीय विचारण न्यायालय को अप्रत्यक्ष रूप से आगाह किया है कि दण्ड शुल्क लगाकर कालबाधित लिखित कथन ग्रहण करने की प्रथा बंद होनी चाहिए। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त केस में दिये गये फैसला में माननीय विचारण न्यायालय ने 2000/– दण्ड शुल्क लगाकर लिखित कथन को ग्रहण कर लिया था और वादी द्वारा उस आदेश को चुनौती देने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया गया और वादी को सही न्याय शीर्ष अदालत से मिला। उपरोक्त तथ्यों व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून की दृष्टि से प्रतिवादी सं0 1 का कालबाधित लिखित कथन ग्रहण करने योग्य नहीं है। आशा है कि विचारण न्यायालय कानून की गरीमा को अक्षुण रखेगा व लिखित कथन को खारिज करेगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विधि की गरिमा की रक्षा करते हुए न्यायहित में प्रतिवादी सं0– 7 के बयान तहरीरी को खारिज करने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 07.08.2025 को प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा दाखिल आवेदन को ही वादी के आवेदन दिनांक 05.06.2025 का प्रतिउत्तर माना जाए। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रतिउत्तर में निवेदन करते है कि प्रतिवादी सं0–01 टायर मेकैनिक है। वह कानूनी प्रक्रियाओं को नहीं	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–73/2023

शेख ईलाकत..वादी

बनाम

शेख तैयब एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 01.07.2026	जानता है। उसका जीवन शैली एक रस्टिक आदमी की तरह है। प्रतिवादी सं0–01 द्वारा दाखिल लिखित ब्यान तहरीरी को ग्रहण किया जाए ताकि प्रतिवादी सं0–01 को कानूनी तथा संपत्ति के अधिकार से बचना न पड़े। अतः प्रतिवादी सं0–01 का लिखित ब्यानतहरीरी स्वीकृत करने की कृपा की जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा यह वाद दिनांक 17.04.2023 को न्यायालय में दाखिल किया गया तथा सुनवाई पश्चात् वाद दिनांक 27.03.2024 को ग्रहण किया गया और प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षिताएँ दाखिल करने का आदेश वादी को दिया गया। प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु कार्यालय द्वारा दिनांक 02.04.2024 को सम्मन निर्गत किया गया और दिनांक 29.04.2024 को S/R संलग्न किया गया। प्रतिवादी सं0–02 दिनांक 10.07.2024 को शक्ति पत्र के साथ न्यायालय में हाजिर हुए और अपना ब्यान तहरीरी दाखिल किये जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2024 को ही ग्रहण कर लिया गया। प्रतिवादी सं0–01 की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन भेजने का आदेश दिया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी सं0–01 पर रजिस्टर्ड सम्मन भेजा गया और उसका रसीद दिनांक 24.07.2024 को न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रतिवादी सं0–01 की उपस्थिति हेतु वादी को गजट प्रकाशन की कार्यवाही करने का निर्देश दिनांक 28.08.2024 को दिया गया। गजट प्रकाशन का प्रारूप वादी द्वारा न्यायालय में को दाखिल किया गया। प्रकाशन के बाद वादी द्वारा हिन्दुस्तान अखबार न्यायालय में दिनांक 29.12.2024 को दाखिल किया गया। प्रतिवादी सं0–01 न्यायालय में दिनांक 29.01.2025 को शक्तिपत्र के साथ हाजीर हुए और ब्यान तहरीरी दाखिल करने हेतु समयावेदन दिया गया। प्रतिवादी सं0–01 द्वारा अपना ब्यान तहरीरी न्यायालय में शपथ पत्र के साथ दिनांक 03.04.2025 को दाखिल किया गया, जिसकी प्रति वादी को दी गई। आदेश 08 नियम 01 कहता है कि The defendant shall within thirty days from the date of service of summons on him, present on written statement of his defence. Provided that where the defendant fails to file the written statement within the said period of thirty	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–73/2023

शेख ईलाकत..वादी

बनाम

शेख तैयब एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **01.07.2026**	days, he shall be allowed to file the same on such other day, as may be specified by the Court, for reasons to be recorded in writing, but which shall not be later than ninety days from the date of service of Summons. प्रतिवादी सं0–01 की ओर से दिनांक 07.08.2025 को अन्तर्गत धारा 5 लीमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत आवेदन दिया गया और प्रार्थना किया गया कि प्रतिवादी सं0–01 रस्टिक आदमी है। उसे कानून की जानकारी नहीं है। प्रतिवादी सं0–01 का ब्यान तहरीरी को स्वीकार किया जाए, जिसका विरोध वादी द्वारा किया गया। चूंकि प्रतिवादी सं0–01 एक टायर मेकैनिक एवं रस्टिक आदमी है, जिसे कानून की जानकारी नहीं है। प्रतिवादी सं0–01 न्यायालय में दिनांक 29.01.2025 को शक्तिपत्र के साथ हाजीर हुए और उनके द्वारा अपना ब्यान तहरीरी न्यायालय में शपथ पत्र के साथ दिनांक 03.04.2025 को दाखिल किया गया जो समय–सीमा के अंदर है। अतः प्रतिवादी सं0–01 का लिखित ब्यान तहरीरी स्वीकार किया जाता है। वादी द्वारा दाखिल रूलिंग लागू नहीं होते है। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन दिनांक 05.06.2025 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वाद दिनांक 30.09.2026 को अग्रीम कार्यवाही वास्ते निश्चित किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	